

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092025-266291 CG-DL-E-22092025-266291

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4123]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2025/भाद्र 31, 1947

No. 4123]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2025/BHADRA 31, 1947

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2025

का.आ. 4241(अ).—जबिक, नेशनल सोशिलस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) (जिसे इसके बाद एनएससीएन (के) कहा गया है) अपने सभी गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों के साथ ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है जो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए हानिकारक है;

और जबिक, केंद्र सरकार की राय है कि एनएससीएन (के) ने,-

- (क) भारतीय संघ से अलग होकर भारत-म्यांमार क्षेत्र के नागा आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक संप्रभु नागालैंड बनाने का अपना लक्ष्य घोषित किया हुआ है;
- (ख) उल्फा (आई), पीआरईपीएके और पीएलए जैसे अन्य गैरकानूनी संगठनों के साथ संरेखित किया हुआ है;
- (ग) व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों और अन्य नागरिकों से फिरौती और जबरन धन वसूली के लिए अपहरण में संलिप्तता की हुई हैं;
- (घ) अवैध हथियार और गोला-बारूद रखे हैं;
- (ङ) हथियार और अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए अन्य देशों में भारत विरोधी ताकतों से सहायता प्राप्त की हुई है।

और जबिक, 28 सितंबर, 2020 से 30 अप्रैल, 2025 की अविध के दौरान एनएससीएन (के) के मामले में निम्नलिखित गतिविधियां पाई गई हैं, नामतः:-

- (क) पुलिस या सुरक्षा बलों की कार्यवाही में इसके तेरह यूजी कैडर मारे गए;
- (ख) इसके कैडरों के विरुद्ध इकहत्तर मामले दर्ज किए गए, छप्पन आरोप पत्र दाखिल किए गए तथा पैंतीस पर मुकदमा चलाया गया;
- (ग) इसके कैडर अन्य इक्यावन आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे;
- (घ) इसके पचासी कैडरों की गिरफ्तारी हुई एवं उनहत्तर कैडरों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया;
- (ङ) इसके पास से उनहत्तर हथियार, बावन मैगजीन, नौ सौ इकतीस जिंदा कारतूस, दस ग्रेनेड, एक सौ पचास डेटोनेटर, तीन विस्फोटक जेल टयूबें, दो सौ ग्राम ट्राइनाइट्रोटोलुईन, डेढ़ किलोग्राम इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस और आठ सौ ग्राम अन्य विस्फोटक बरामद हुए;

और जबिक, नागालैण्ड, मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश की सरकारों ने भी विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के तहत एनएससीएन (के) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने की सिफारिश की है:

और जबिक, केंद्र सरकार की यह राय है कि एनएससीएन (के) की उपरोक्त गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं, और यदि इन्हें तुरंत रोका और नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो एनएससीएन (के) खुद को और अधिक संगठित और हथियारबंद करेगा, अपने कैडरों का विस्तार करेगा, परिष्कृत हथियार खरीदेगा, नागरिकों और सुरक्षा बलों के जीवन का नुकसान करेगा और इस तरह यह अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को तेज कर सकता है;

और जबिक, केंद्र सरकार की यह राय है कि उपरोक्त कारणों से, एनएससीएन (के), अपने गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों के साथ, एक विधिविरुद्ध संगम है;

अब इसलिए, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नेशनल सोशिलस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन (के)] को उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों के साथ विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित करती है;

केंद्र सरकार का मत है कि नेशनल सोशिलस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) की उपरोक्त गैरकानूनी गितिविधियों, और इसके द्वारा विगत में की गई गितिविधियों, को ध्यान में रखते हुए ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिसके कारण नेशनल सोशिलस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन (के)] को, उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों के साथ 28 सितंबर, 2025 से, तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक हो जाता है। अत: उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत किसी आदेश के अध्यधीन, 28 सितंबर, 2025 से तत्काल प्रभाव से पांच वर्ष के लिए प्रभावी होगी।

[संख्या. 11011/02/2025-एनई. V]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2025

S.O. 4241(E).—WHEREAS, the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) along with all its factions, wings and front organisations [hereinafter referred to as NSCN (K)] has been involved in such activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that the NSCN (K) has,-

- (a) declared its aim to create a sovereign Nagaland incorporating the Naga inhabited areas of Indo-Myanmar region by secession from the Indian Union;
- (b) aligned itself with other unlawful associations like the ULFA(I), PREPAK and PLA;
- indulged in kidnapping for ransom and extortion of money from businessmen, Government officials and other civilians;
- (d) possessed illegal arms and ammunitions; and
- (e) obtained assistance from anti-India forces in other countries to procure arms and other assistance.

AND WHEREAS, the following activities have been noted in the case of NSCN (K), during the period from 28th September, 2020 to 30th April, 2025, namely:-

- (a) killing of thirteen UG cadres in police or security forces action;
- registration of seventy-one cases against its cadres with fifty-six charge sheets filed and thirty-five cadres prosecuted;
- (c) involvement of its cadres in fifty-one other criminal activities;
- (d) arrest of eighty-five cadres and surrender by sixty-nine cadres;
- (e) recovery of sixty-nine arms, fifty-two Magazines, nine hundred thirty-one live rounds, ten grenades, one hundred fifty detonators, three explosives gel tubes, two hundred grams Trinitrotoluene, one and half kilogram Improvised Explosive Device and eight hundred grams other explosives.

AND WHEREAS, the State Governments of Nagaland, Manipur and Arunachal Pradesh have also recommended for declaration of NSCN (K) as an unlawful association under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967);

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of NSCN (K) are detrimental to the sovereignty and integrity of India and if these are not immediately curbed and controlled, the NSCN (K) may further regroup and rearm itself, expand its cadres, procure sophisticated weapons, cause loss of lives of civilians and security forces and thereby accelerate its anti-national activities;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the NSCN (K) together with its factions, wings and front organisations, is an unlawful association;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [NSCN (K)] along with all its factions, wings and front organisations as an unlawful association;

The Central Government, having regard to the unlawful activities mentioned above and the unlawful activities committed in the past by the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang), is further of the opinion that circumstances exist which render it necessary to declare the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [NSCN (K)] along with all its factions, wings and front organisations to be an unlawful association with immediate effect from the 28th September, 2025 and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have immediate effect from the 28th September, 2025 for a period of five years.

[No. 11011/02/2025-NE.V] RAJEEV KUMAR, Jt. Secy.